तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **दी सांगानेर को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी बनाम जितेन्द्र व अन्य**	**नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए**
08.02.2024	अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान द्वारा मूल अपील का अन्तिम निस्तारण दिनांक 08.01.2024 को किया जा चुका है तथा नियमानुसार उक्त अपील के विरूद्व अपर न्यायालयों में अपील/निगरानी इत्यादि प्रस्तुत करने के प्रावधान कानून में प्रावधित है। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 9 नियम 13 न्यायालय श्रीमान के समक्ष पोषनीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावे। हमने अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि अप्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील का अंतिम निस्तारण दिनांक 08.01.2024 को किया जा चुका है तथा उक्त निर्णय के विरूद्व यदि प्रार्थी किसी प्रकार से असंतुष्ट है तो उन्हे कानून में प्रावधित प्रावधानों के तहत् अपर न्यायालयों में अपील/निगरानी प्रस्तुत कर अपने हकहकूक अधिकारों की चाराजोही कर सकता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार करते हुये फलस्वरूप प्रार्थना पत्र 9 नियम 13 खारिज किया जाता है। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो। **(डॉ. आरूषी मलिक)** **संभागीय आयुक्त,** **जयपुर**	